



• बीआरकेजीबी सुलभ ऋण योजना

पात्रता	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/बैंक/वित्तीय संस्थाओं/अर्द्धशहरी, शहरी निगमों/निकायों के नियमित कर्मचारी/शैक्षणिक संस्थाओं/प्रख्यात औद्योगिक संस्थाओं में सेवारत कर्मचारी/व्यावसायिक स्वरोजगारी (वकील, प्राइवेट डॉक्टर, चार्टर अकाउन्टेन्ट/ इंजिनियर/आरकीटेक्चर आदि।
ऋण का उद्देश्य	विधि द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी कार्यों हेतु।
ऋण सीमा	<ol style="list-style-type: none">1. कुल मासिक वेतन का 18 गुना अधिकतम – ₹ 8.00 लाख2. वर्तमान कुल कटौतिया + प्रस्तावित ऋण की किश्तों का योग मासिक वेतन के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।3. गैर वेतन भोगी आवेदकों द्वारा आयकर रिटर्न में दर्शायी गयी शुद्ध आय (आयकर घटाने के बाद) की आय का ढाई गुना तक।
ब्याज दर	समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
पुर्नभुगतान अवधि	अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों में (EMI)